# कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

निरंजन लाल द्वारा दीपक क्लिनिक, गॉधी तिराहा, दौसा जिला दौसा राजस्थान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा

अपील सं0 33 / 2018

<u>निर्णय</u> दिनांक 07.08.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा से सूचना/नकल हेतु दिनांक 28.05.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई/2018/674 दिनांक 26.07.2018 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा वॉछित सूचना प्रभारी अधिकारी (सतर्कता शाखा) कलक्ट्रेट, दौसा से संबंधित होने के कारण उनके पत्रांक आरटीआई/2018/486 दिनांक 29.05.2018 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रा0 पत्र स्थानांतरित किया गया था। प्रभारी अधिकारी (सतर्कता शाखा) कलक्ट्रेट, दौसा द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई/2018/3880 दिनांक 26.07.2018 द्वारा सूचना प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 673 दिनांक 26.07.2018 द्वारा आवेदक को वॉछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रेषित पत्रादि की छाया प्रति संलग्न पत्रावली है। साथ ही आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाना अंकित कर अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। आवेदक को सूचना उपलब्ध हो जाने के फलस्वरुप अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official